

uploading
30/10/2024

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल 462004

क्रमांक 2967/बी-1/274/1978/एक/6
प्रति.

भोपाल, दिनांक 30/10/2024

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर्स
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को दिनांक 01 जुलाई 2024 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने बाबत ।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक-1/5/2024-E-II(B) दिनांक 21 अक्टूबर 2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2024 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएँ (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 नियम-3 के तहत ये पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है। अतः राज्य शासन राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को दिनांक 01 जुलाई, 2024 से मूल वेतन के 50% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 53% प्रतिमाह की दर से निम्नलिखित उपबंधों पर पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

- 1- पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्तों का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक-1/5/2024-E-II(B) दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के अनुसार होगा ।
- 2 संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द से अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है। किन्तु इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं होगा।
3. इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2024 से नगद किया जावेगा।
4. महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम-9 (21) अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

my

5. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूप के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे से कम है तो उसे नजर अंदाज किया जाए ।
6. इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी ।
7. एरियर्स के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे जहाँ से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया गया हो ।

2/ इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। तदनुसार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश अनुरूप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2024 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए उपर्युक्त कंडिकाओं में बताये अनुसार किया जाए ।

सलग्न :-उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अनुराग जैन)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 2968/बी-1/274/1978/एक/6
प्रतिलिपि :-

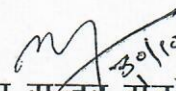
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर (म.प्र.) ।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.) ।
4. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
5. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल ।
7. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश (समस्त) ।
8. सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
9. मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, वल्लभ भवन,
10. आयुक्त, नगर पालिका निगम, (म.प्र.) (समस्त) ।
11. आवासीय आयुक्त, म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ।
12. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. भोपाल ।
13. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
14. आयुक्त, जनसम्पर्क, संबालनालय जनसम्पर्क, बाणगंगा, भोपाल, (म.प्र.) ।

my

15. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल ।
16. महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल, (म.प्र.) ।
17. कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) ।
18. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल
19. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम / औद्योगिक विकास निगम/राज्य निर्यात निगम/फिल्म विकास निगम/कृषि उद्योग विकास निगम /खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्/लघु उद्योग निगम/दुग्ध महासंघ / राज्य उद्योग विकास निगम / पर्यटन विकास निगम / उर्जा विकास निगम/मध्य पुस्तक विकास निगम / हस्तशिल्प विकास निगम / मत्स्य विकास निगम / इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम/बीज एवं फार्म विकास निगम / राज्य तिलहन संघ / सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड)/ खनिज निगम / राज्य भण्डार गृह निगम / अंत्य व्यवसायी विकास निगम/राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम / महिला वित्त एवं विकास निगम/आदिवासी वित्त एवं विकास निगम / पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन जल निगम /सडक विकास निगम, मध्यप्रदेश ।
20. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मण्डी बोर्ड, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
21. प्रबंध संचालक, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, रामपुर, जबलपुर, (म.प्र.)
22. प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, (म.प्र.) ।
23. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, (म.प्र.) ।
24. प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर, (म.प्र.) ।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. वित्त निगम, इन्दौर ।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ।
27. सदस्य सचिव, अनुसूचित जातिध्वजनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/राज्य खाद्य आयोग, म.प्र. भोपाल ।
28. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी, 1100 क्वाटर, भोपाल ।
29. संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल, (म.प्र.) ।
30. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
31. संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), कलियासोत डेम के पास, भोपाल ।
32. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. भोपाल ।
33. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, पर्यावास भवन, भोपाल
34. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल ।
35. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.), म.प्र. भोपाल ।
36. कार्यपालन निदेशक, एप्को, म.प्र. भोपाल । आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, म. प्र. भोपाल ।

37. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ।
38. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, म.प्र. भोपाल ।
39. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
40. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल ।
41. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
42. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, (म.प्र.) ।
43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, (म.प्र.) ।
44. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, (म.प्र.) ।
45. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर, (म.प्र.) ।
46. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी डेवेलपमेंट लिमिटेड, (म.प्र.) (समस्त) ।
47. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश (समस्त) ।
48. अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल. (म.प्र.) ।
49. सचिव, राज्य योजना मण्डल, म.प्र. भोपाल ।
50. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), मंत्रालय, भोपाल को एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु अग्रेषित ।


(श्याम सुन्दर सेठ)
उप सचिव (लेखा)
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 1/5/2024-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 21st October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees effective from 01.07.2024.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/1/2024-E.II (B) dated 12th March, 2024 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from 50% to 53% of the Basic Pay with effect from 1st July, 2024.

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

(Abhimanyu Sahoo)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

DS (M.G.)
21/10/24
22/10/24